

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023

P-1 ✓

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:- श्री विनोद कुमार परस्ते 2. वर्तमान धारित पद :- प्रभारी उप संचालक
3. वर्तमान वेतन :- 71400/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- जनवरी-2023

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद,पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम रहेंगी पो0 सिमरिया तहसील व जिला डिंडोरी जिला जबलपुर	परिवार के निवास हेतु भवन जो कि पिता जी के नाम से है। आवासीय भवन (4 बेड)	आवासीय 15 एकड़ लगभग सिंचित	20,00,000	पैत्रिक संपत्ति पिता -पुत्र	-	संयुक्त संपत्ति भूमि की उपज का संयुक्त परिवार में उपयोग होता है।	-
			40,00,000	स्वयं के नाम	बैंक ऋण व वेतन से बचत द्वारा	-	संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2842/स्था/नग्रानि/भोपाल दिनांक 29.06.2021 द्वारा भवन क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्यव्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....

(Signature)
विनोद कुमार परस्ते
सहायक संचालक

फार्म

CAD F0ma(W)1

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 01 जनवरी 2020 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का(पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ... मांगेश पन्डो 2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक
 3. वर्तमान वेतन ... 61300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01/07/2023

उस जिले उपसभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका साक्षरणीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया " खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>भिरके</u>							

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(आवरण)नियम, 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्स्त अचल संपत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर Maresh Pandey
 नाम मांगेश पन्डो
 पद सहायक संचालक

फार्म
अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- श्रीमती कविता नागर, नगर तथा ग्राम निवेश, खण्डवा
2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक
3. वर्तमान वेतन 75,700 रूपये अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई-2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हों।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध हैं।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हों उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
इन्दौर, मध्यप्रदेश	गृह (20X70 वर्गफीट) शिव सिटी प्लाट नं. 624	निरंक	40,00,000/- रूपये	श्रीमती कविता नागर	L.I.C. गृह लोन लेकर	निरंक	निरंक


* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टीप :-

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है। कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें, और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित की अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम : श्रीमती कविता नागर (सहायक संचालक)

स्थान : खण्डवा म.प्र.

दिनांक : 4.1.2023

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- **जयवर्धन राय**
 2. वर्तमान धारित पद **सहायक संचालक (योजना)**
 3. वर्तमान वेतन **रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600/-**
 4. अगली वेतन वृद्धि की तारीख **1 जनवरी 2023**


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हों।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध हैं।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "" खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हों उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम-पिपराई गांव तह. मगावली जिला-अशोक नगर	----- -	लगभग 2.592 हैक्टे. सिंचित कृषि भूमि	लगभग रु. 20.00 लाख	स्वयं एवं माता	शासकीय सेवा में आने के पूर्व से ही विरासत से प्राप्त (शासकीय सेवा में आने के पश्चात अर्जित अचल संपत्ति - निरंक)	4.20 लाख	निरंक
चूनाभट्टी, भोपाल	भवन	-----	लगभग रु. 85 लाख	स्वयं एवं भाई	शासकीय सेवा में आने के पूर्व से ही वर्ष 2004-05 में स्वयं एवं भाई की कृषि आय से प्लाट क्रय कर निर्माण कुल लागत रु. 16.51 लाख (शासकीय सेवा में आने के पश्चात अर्जित अचल संपत्ति - निरंक)	निरंक	निरंक

टीप:-

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है। कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें, और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

स्थान: भोपाल, म.प्र.

दिनांक: 30/01/2023

हस्ताक्षर  30/01/2023

नाम: जयवर्धन राय

पद: सहायक संचालक (योजना)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- **सुनील जॉन मिंज** 2. वर्तमान धारित पद- **सहायक संचालक**
3. वर्तमान वेतन- **रु. 69000/-** 4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख-**जुलाई-2023**

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	संपति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
एल आई जी-97 भारती निकेतन, गोविन्दपुरा, भोपाल	आवासीय भवन	---	रु. 60,00,000/- अनुमानित	पैतृक सम्पति (माता- पिता के नाम पर) जिसमें तीन भाईयों का हिस्सा है।	पिता जी द्वारा कय किया गया।	स्वयं के उपयोग हेतु	-
फ्लेट न. 303 टावर न. I, III Floor अवतिका होम्स, दानिश कुंज चौराहा, कोलार रोड़-भोपाल भोपाल	आवासीय 3 BHK फ्लेट	---	रु. 15,00,000	स्वयं के नाम पर है। 10 प्रतिशत राशि स्वयं के बचत से तथा 90 प्रतिशत राशि भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया है।	अवतिका विल्डर्स से कय किया गया।	रु. 1,44,000/-	-
फ्लेट न. 304 टावर न.II, III Floor अवतिका होम्स, दानिश कुंज चौराहा, कोलार रोड़- भोपाल भोपाल	आवासीय 3 BHK फ्लेट	---	रु. 15,00,000	पत्नी श्रीमती बेनेनिया मिंज के नाम पर है। 10 प्रतिशत राशि स्वयं के बचत से तथा 90 प्रतिशत राशि भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया है।	अवतिका विल्डर्स से कय किया गया।	रु. 96,000/-	-
ग्राम-बरखेड़ी तहसील-श्यामपुर जिला सीहोर खसरा क्र. 212/9/2		कृषि भूमि 0.3035 हैक्टर	रु. 6,50,000/-	पत्नी श्रीमती बेनेनिया मिंज द्वारा कय की है। बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड ऋण द्वारा लिया गया है।	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सिद्धनाथ पादीदार, निवासी-झरखेड़ा, जिला सीहोर, म.प्र. माह सितम्बर-2022 में कय किया गया।	-	-

* जहां लागू न हो काट दिया।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- **सुनील जॉन मिंज**
पद नाम- **सहायक संचालक**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 1 JAN. 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: सुदेश कुमार राय
 2. वर्तमान धारित पद: सहायक संचालक
 3. वर्तमान वेतन: 63100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 1 July 2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, चंथक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-ग्राम-सालीवाड़ा तह-बैजपुर जिला-मण्डला मण्ड	-	0.पाहे शुद्ध	-	-	पैठन संपत्ति से विरासत से विरासत	100000/- Aprox.	पैठन संपत्ति
-ग्राम-बागमुगालिया तह-दुजूर जिला-मोपाल	गृह 25x40=1000 वर्गफीट परमवन डी 355 मोपाल बागमुगालिया मोपाल	-	-	-	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाम यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर: [Signature]
 1/9/2023
 नाम: सुदेश कुमार राय
 पद: सहायक संचालक

फार्म

फरवरी, 2023

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष - 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

इंदु त्रिपाठी

2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 73500 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1 जुलाई 2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	भूखण्ड भवन-		ज्ञात नहीं	पति स्वयं	पति के पिता द्वारा दी गई राशि से स्वयं की कचरा एवं साक्रसिंग लोन प्रकृत	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Indy

नाम

इंदु त्रिपाठी

पद

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, मंफू

भोपाल

8-2-2023

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023

DR. Vinita Verma Paikra

Assistant Director

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन ... 61300/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01.07.2023

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Flat no 18 अभिनव अपार्टमेंट लला लालपुर सांख्यी भा.पा.व	① Flat	—	approx 16lakh	स्वयं के नाम पर	खरीद OPD मार्केट से (27/03/2019)	किराया ₹ 6000/- P.M	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Vinita
16/01/23

नाम

DR. Vinita Verma Paikra

पद

Assistant Director

Directorate Town & Country
Planning Bhopal.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : शोभनी रावतेना 2. वर्तमान धारित पद : अध्यक्ष संतानिक
3. वर्तमान वेतन : 73500+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई 2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>मोपल</u>	<u>घर</u> <u>40 झरकापुरी</u> <u>कमिनी कौस्तुभ</u> <u>मुक्ताना पद</u> <u>जिस मोपल</u> <u>(म.प्र.)</u>	<u>-</u>	<u>96 लाख</u> <u>लगभग</u>	<u>पति</u>	<u>पति के पिता द्वारा पति</u> <u>के लिए भेंट पति</u> <u>द्वारा L.I.C. से श्रृंग</u> <u>लेकर उसका भिन्न</u>	<u>लगभग</u> <u>निगमन</u>	<u>-</u>

- * जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : शोभनी रावतेना
02/10/2023

नाम : शोभनी रावतेना

पद : अध्यक्ष संतानिक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राब

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **श्रीमती साधना भायुज**
2. वर्तमान धारित पद: **अससयुक्त संचालक (स्वायत्त)**
3. वर्तमान वेतन: **71000+D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **01/07/2023**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अकिनाब नगर गहसीत कुण्ड वास्कोडा पठानी के पास (ओणाट)	गृह	-	8 लाख मेगाम्बा	स्वयं	श्वरीदा लार केदार एड निर्माण समिति - ओणाट 88-89	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

Sadhna
25/07/2022

नाम

श्रीमती साधना भायुज

पद

अससयुक्त संचालक (स्वायत्त)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

विपुल माडुले

2. वर्तमान धारित पद

सहायक

संचालक

3. वर्तमान वेतन

61300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.23

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम

विपुल माडुले

पद

सहायक संचालक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 01 जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का(पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

संकल्प शुक्ला

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

61300/- + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2023

उस जिले उपसंभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विसरात, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जबलपुर	आवासीय मकान		60 लाख	श्री एस.के. शुक्ला (पिताजी)	खरीद	-	-
जबलपुर	आवासीय मकान		1 करोड़	श्रीमती उषा शुक्ला (माताजी)	खरीद	-	-

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

संकल्प शुक्ला

सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जून 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

डॉ. नीलम खत्री

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 61300 + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	क्लैट	-	10 लाख	स्वयं के नाम से	HDFC Bank से लोन 9 लाख रुपये	-	शासकीय सेवा में आने के पूर्व लिया था

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

Neelam
26/12/22

नाम

डॉ. नीलम खत्री

पद

सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

द्वारा खनाद्वय, नारायण-ग्राम, निवेश 2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक (योजना)

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

नाम द्वा खनाद्वय

पद सहायक संचालक (योजना)
नारायण-ग्राम निवेश जिला अधीनस्थ विद्विष्ट (म.प्र.)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष-2023

- 1.शासकीय सेवक का (पुरा)नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:-सूश्री विनिता दर्श्यामकर,वर्तमान धारित पद:-सहायक संचालकनगर तथा ग्राम निवेश नीमच
- 2.वर्तमान वेतन:-61300+डी.ए.
- 3-अगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-जुलाई-2023.


उस जिले उप संभाग,तालुका,तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पति स्थित हो।	सम्पति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मुल्य	यदि स्वयं के नाम न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित हैं और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद,पट्टा,बंधक,विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	सम्पति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
एच.आई.जी.506 बी.डी.ए.काम्प्लेक्स 7 स्टॉफ शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)	भवन	—	60,00000 (साठ लाख)	स्वयं के नाम पर है।	विरासर में प्राप्त पैतृक संपति	—	—

* जहाँ लागु न हो काट दिजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मुल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो,वहां वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मुल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पटी:-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम,1959 के नियम 18(3) के अधिन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है,कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिनें की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य में नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम. विनिता दर्श्यामकर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सावनकोयल

2. वर्तमान धारित पद

सहायक लैबोररि

3. वर्तमान वेतन 56100-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1-1-2023

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला खरखौन तहसील श्रीरुनगांव ग्राम- श्रीरुनगांव	भूमि (प्लॉट) 20x50	—	10 लाख	स्वयं	खरीदा गया	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

सावनकोयल

पद

सहायक लैबोररि

व.स.नि. 33-1

फार्म

1 JAN 2023

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राब

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

मोहनलाल वर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

71,100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-07-2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
देवारा	गृह	-	30 लाख	स्वयं	स्वरीहा (बैंक तर्जुन देवारा)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

मोहनलाल वर्मा

पद

सहायक संचालक, नगमानि
श्वरगोन, बड़वानी

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अपूर्वा गंगराडे

2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

₹ 13000 + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

रजि जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① इटावसी जिला-दोशंगाबाद	गृह	NA	50,00,000/- पचास लाख मात्र संबंध - पिता	अंजय कुमार गंगराडे	खरीदा गया :- नगर सुधार - मास से दिनांक :- 1995	NA	NA
② इटारसी जिला - दोशंगाबाद	गृह	NA	60,00,000/- साठ लाख मात्र	बानी गंगराडे संबंध - माता	खरीदा गया :- शिव शंकर तिवारी से दिनांक :- 2015	NA	NA

जहाँ लागू न हो काटे दीजिए।

* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधित के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

हस्ताक्षर

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विधय, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अपनी को अर्जित के परवाना सह आवण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकांश विरासत में मिली या उसमें अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

नाम

पद

अपूर्वा गंगराडे

अपूर्वा गंगराडे

सहायक संचालक

फार्म

1 JAN 2023

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, रार्ब

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मोहनलाल वर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

71,100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-07-2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
द्वारा	गृह	-	30 लाख	स्वयं	स्वयं (बैंक ऋण द्वारा)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परन्तु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम मोहनलाल वर्मा

पद सहायक संचालक, नग्मानि
श्वरगोन, बडवानी

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

हरिद्वाम मोहेश्वरी

2. वर्तमान भारत पद


सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उप जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** क़रीब, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम रामकोना तह सौसर जि. छिन्दवाडा	गृह		लगभग 80,90,000	स्वयं	पट्टा दि 1/5/2017 को पिता नरदप्रकाश मोहेश्वरी से प्राप्त किया गया।		स्वयं विरासत
ग्राम रामकोना तह सौसर जि - छिन्दवाडा		भूमि	लगभग 38,08,000	स्वयं	पिता नरदप्रकाश मोहेश्वरी से दि. 29/12/2014 को प्राप्त किया गया।		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती की अवधि के परचा पर भोजपा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर 
 नाम हरिद्वाम मोहेश्वरी
 पद सहायक संचालक
 दिनांक
 19-1-2023

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Krishna Kant Kumar

2. वर्तमान धारित पद

Assistant Director3. वर्तमान वेतन 6,1300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/7/2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Cawalior</u> ↓ <u>Sun valley</u> ↓ <u>City Centre</u>	<u>house/ home</u>	<u>NU</u>	<u>80,000/-</u> <u>(50 lakhs)</u>	<u>NIL</u>	<u>Housing loan and Savings</u>	<u>nil</u>	<u>Housing loan - Canara bank</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

Krishna Kant Kumar

नाम

पद

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राबर्

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बड़ी प्रसाद कोठारे 2. वर्तमान धारित पद सहायक क्लर्क
 3. वर्तमान वेतन 82700 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुल 13 2023

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम - धोरेवन्दी शाहूतलाई - तहसील हिमरती जिला - एरदा (म.प्र.)	आवासीय भवन ग्राम धोरेवन्दी शुक्र तहसील हिमरती जिला - एरदा पैट्टक सम्पत्ति के अन्तर्गत विरासत	15.51 एरदा	आउलत गृह क्रमा संख्या	स्वयं के नाम पर	पैट्टक सम्पत्ति से विरासत से विरासत	लाभदा 3.25 लाभदा	पैट्टक आवासीय भवन अन्तर्गत सम्पत्ति शुक्र विरासत क्रमा संक्र की क्रमा सम्पत्ति के परिवार के नाम से सम्पत्ति है
② ग्राम सुआरनेडा तहसील - हिमरती जिला - एरदा म.प्र.	—	15.26 एरदा	आउलत गृह क्रमा संख्या	अर्जित हेतु एन अंकिर (पत्नी का नाम)	पैट्टक सम्पत्ति विरासत से	लाभदा 3.25 लाभदा	पैट्टक आवासीय भवन अन्तर्गत सम्पत्ति शुक्र विरासत क्रमा संक्र की क्रमा सम्पत्ति के परिवार के नाम से सम्पत्ति है

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
 नाम बड़ी प्रसाद कोठारे
 पद सहायक क्लर्क

1975, 5/12/75

85110 + 20

1975, 5/12/75

Time	Location	Observations	Notes
18:51
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
00:00

1975, 5/12/75

85110 + 20

1975, 5/12/75

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

जी. एल. वर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

71100/- D.A.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
→ ग्राम सुराखेड़ी त. सावेर जिला इन्दौर (म.प्र.)	भू-खण्ड	-	6,75,000/-	स्वयं एच.एल. के नाम संयुक्त	स्वयं की वचत एवं रिश्तदारों से उधार तथा एल. आई.टी. से लोन।	-	-
→ डी.एल. एक. गार्डन सिटी ग्राम-सुराखेड़ी तह. सावेर जिला इन्दौर (म.प्र.)	—	—	27,00,000/-	स्वयं	स्वयं की वचत एवं लोन	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तमाम मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रापक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

(Signature)

नाम

जी. एल. वर्मा

पद

सहायक संचालक

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : सारंग गुप्ता
 2. वर्तमान धारित पद : सहायक संचालक
 3. वर्तमान वेतन : 61300/-
 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1 जुलाई 2023

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम पालदा इंदौर म0प्र0	आवासीय भवन	संस्कृति पाम कॉलोनी प्लॉट नंबर 122, 194, 127, 149, 148	70 लाख अनुमानित	पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 1992 मे पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक
सपना संगीता रोड, असाना चेम्बर्स	दुकान नंबर जी-5	दुकान	10 लाख अनुमानित	डॉ प्रेमलता गुप्ता माताजी के नाम पर	वर्ष 1997 मे माताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	1,50,000 /-	निरंक
ग्राम पालदा इंदौर म0प्र0	आवासीय प्लॉट	4000 वर्गफीट 3000 वर्गफीट	45 लाख अनुमानित	माता श्रीमति प्रेमलता गुप्ता एवं पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 2012 मे माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक
ग्राम पालदा इंदौर म0प्र0	आवासीय प्लॉट	2000 x 4 = 8000 वर्गफीट	50 लाख अनुमानित	माता श्रीमति प्रेमलता गुप्ता एवं पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 2013-14 मे माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक
स्पना संगीता रोड, असाना चेम्बर्स इंदौर	दुकान मेन 2	दुकान	40 लाख अनुमानित	डॉ प्रेमलता गुप्ता माताजी के नाम पर	वर्ष 2013-14 मे माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक

त्र

25, अग्रवाल नगर, (नई भूमि) इंदौर	आवासीय भवन (स्वयं रहवास)	आवासीय	1 करोड़ 10 लाख अनुमानित	पिताजी एवं माताजी के नाम से	दोनो द्वारा स्वयं की कमाई से वर्ष 2019 में बैंक से ऋण प्राप्त कर कय किया गया।	निरंक	निरंक
नवलखा मेनरोड इंदौर	गोडाउन	1500 X 2	30 लाख अनुमानित	पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	पैतृक संपत्ति द्वारा पिता श्री नरेश गुप्ता को प्राप्त	4,50,000	निरंक

* वर्तमान मूल्य - कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार लगभग मूल्य।

हस्ताक्षर : 
नाम : सारंग गुप्ता
पद : सहायक संचालक
दिनांक : 03.01.2023

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : काजेसिंह गवली
 2 वर्तमान धारित पद : सहायक संचालक
 3 वर्तमान वेतन : 73500/-
 4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1 जनवरी 2023

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
धार	-	ग्राम सालखेड़ा पो0 लोणी तहसील कुक्षी जिला धार स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 19/1, 17/6 व 167/2 कुल रकबा 1.521 हे.	20 लाख	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम वर्ष 2012 के पूर्व पैतृक कृषि भूमि	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम से वर्ष 2012 के पूर्व की पैतृक कृषि भूमि है।	1.0 लाख	-
धार	ग्राम सालखेड़ा पो0 लोणी तहसील कुक्षी जिला धार स्थित भवन	-	10 लाख	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम वर्ष 2012 के पूर्व पैतृक भवन	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम से वर्ष 2012 के पूर्व की पैतृक भवन है।	-	-
इंदौर	प्रकोष्ठ क0 बी-205 रौनक प्रथम पेराडाईज अपार्टमेंट, कनाड़िया रोड, इन्दौर, बिल्टप एरिया 1150 वर्ग फीट	-	20.70 लाख	स्वयं के नाम पर	1. विभागीय अनुमति प्राप्त कर पूर्व से धारित भू-खण्ड के विक्रय से प्राप्त राशि 18,00,000/- रु. 2. एच.डी.एफ.सी. इन्दौर से प्राप्त आवास ऋण राशि 2,70,000/- रु. 3. उक्त प्रकोष्ठ मेसर्स नाकोड़ा रियालिटीज श्री अनिल धाकड़ से दिनांक 21.12.2018 को क्रय किया गया।	-	संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6837 दिनांक 20.11.2018 से अनुमति प्राप्त कर क्रय किया गया।

Handwritten signature


इंदौर	भूखण्ड क्रमांक A-82 कनक एवेन्यु कॉलोनी, ग्राम लसूडिया मोरी, इंदौर कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट भूखण्ड	-	8 लाख 98 हजार 150	श्रीमति शीला गवली (पत्नी)	1. श्रीमति शीला गवली जो कि स्वयं आयकर दाता है के द्वारा स्वयं के व्यवसाय से प्राप्त आय की बचत से उनके बैंक खाते 8,98,150/- रु. से चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। 2. उक्त भूखण्ड श्री राम कुमार गोयल से दिनांक 03.07.2020 को कय किया गया	-	-
धार	-	ग्राम देवलरा तहसील मनावर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 52/1 कुल रकबा 0.759 हेक्टेयर	10 लाख	श्री मंगलसिंह गवली (पिता) एवं श्रीमति शीला गवली (पत्नी) के संयुक्त नाम से	1. श्रीमती शीला गवली द्वारा स्वयं के व्यवसाय से प्राप्त आय की बचत से उनके बैंक खाते 5,00,000/- रु. से चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। शेष राशि 5 लाख रु. मेरे पिता श्री मंगल सिंह गवली द्वारा स्वयं की आय की बचत से चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। (मेरी पत्नि एवं पिता स्वयं आयकरदाता है।) 2. उक्त भूमि श्री मानसिंह चौहान से दिनांक 12.03.2021 को कय कि गयी।	-	-

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :


21/1/23

काजेशिंह गवली

सहायक संचालक

21/1/2023